न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 08 / 2019

उनवान

(1) भेरजी पिता शंकर चमार निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) पुंजा पिता शंकर चमार निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) राजु पिता देवचन्द चमार निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(4) श्रीमती जमना बेवा देवचन्द चमार निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

(1) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 08.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा वर्णित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 195 रकवा 0.17 एयर भूमि वाके ग्राम लोहारिया तहसील गढ़ी में स्थित हैं जिसका पुराना नम्वर 5297 / 110 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण पैतृक समय से उक्त कृषि भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहें है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी नम्बर 5297 / 110 सवंत 2077 में दर्ज होकर प्रार्थीगण के पिता नगजी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। सेटलमेंट के दौरान् राजस्व अधिकारियों की त्रुटी से उक्त कृषि भूमि वर्तमान रेकार्ड में 0.17 एयर दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर ही काविज हो काश्त कर रहे है। उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त कराने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 27.10.77 से श्री नगजी पिता कोदर जाति चमार निवासी लोहारिया के नाम सर्वे नम्बर 5297 / 110 रकवा 3 बीघा किस्म ह.च. आवंटन हुई। जमाबन्दी खाता संख्या 257 जमाबन्दी वर्ष 2036 से 2039 में नगजी पिता कोदर चमार के नाम सर्वे नम्बर 5297 / 110 रकवा 3 बीघा किस्म ह.च. लगान 0.75 रू0 दर्ज है। वक्त भू—प्रबन्ध सर्वे नम्बर 5297 / 110 रकबा 3 बीघा का नया सर्वे नम्बर 195 रकबा 0.17 हे0 दर्ज किया गया जो गलत है। रकबा 3 बीघा का 0.48 हे0 दर्ज होना था जो 0.31 हे0 रकबा कम दर्ज किया गया। मौका, राजस्व रेकार्ड व रिपोर्ट भू—अभि0 निरी0 पालोदा अनुसार खातेदार का रकबा सर्वे नम्बर 201 रकबा 3.11 हे0 किस्म डूॅगरी में दर्ज कर दिया गया है। ग्राम मोटावाड़ा के सर्वे नम्बर 01 रकबा 3.11 हे0 किस्म डूॅगरी श्रीसरकार में से रकबा 0.31 हे0 भूमि खातेदारान् भेरजी, पुंजा पिता शंकर, राजु पिता देवचन्द व जमना देवा देवचन्द जाति चमार निवासी लोहारिया के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित होना बताया।

प्रकरण में प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, भू—प्रबघन की जमाबन्दी खाता संख्या 254, नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 27.10.77 की नकल, जमाबन्दी खतौनी संवत 2036 से 2039, रियासती क,ासरा पत्रक संवत 2039, जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की नकल तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूॅचा हैं कि पटवार हल्का लोहारिया के मौजा मोटावाड़ा की [illegible] संख्या 239 (नई) 204 (पुरानी) में प्रार्थीगण के खातेदारी सर्वे नम्बर 195 रकबा 0.17 हे0 भूमि में रकबा 0.31 [illegible] उक्त सेटलमेंन्ट कमी दर्ज किया गई है जो श्रीसरकार सर्वे नम्बर 201 से [illegible] रकबा 0.31 हे0 भूमि अतिरिक्त दर्ज करने का आदेश दिया जाकर [illegible] तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.01.29 12:45:07 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner